



भारत सरकार एवं उत्तराखंड सरकार द्वारा संचालित



HDFC
ERGO



पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना (RWBCIS)

मौसम – खरीफ 2023


सुरक्षित कृषक, राष्ट्र का गौरव

उद्देश्य :

1. प्राकृतिक आपदाओं यथा वर्षा (अधिक व कम वर्षा), तापमान, वर्षा के पैटर्न के कारण किसी भी संसूचित फसल के नुकसान होने की स्थिति में किसानों को बीमा कवरेज द्वारा वित्तीय सहायता।
2. किसानों को कृषि में प्रगतिशील कृषि तरीकों, उच्च मूल्य आदानों एवं उच्चतर प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना।
3. विशेषकर आपदा वर्षों में कृषि आय को स्थिर करना।

पात्र कृषक: अधिसूचित क्षेत्र में अधिसूचित फसल उगाने वाले सभी कृषक (ऋणी/गैर ऋणी)

(ऋणी कृषकों को बीमा में शामिल न होने के सम्बन्ध में अपना प्रार्थना पत्र सम्बन्धित बैंकों को बीमा की अन्तिम तिथि से 7 दिन पूर्व देना अनिवार्य है। ऐसे कृषक बीमा में तभी शामिल हो सकते हैं जब वह अपना प्रार्थना पत्र पुनः बीमा में शामिल होने हेतु देंगे।)



अधिसूचित फसल	बीमा की इकाई	बीमित राशि (₹./हे.)	कृषक द्वारा देय प्रीमियम	खरीफ 2023 में बीमा कराने की अन्तिम तिथि
आलू	संदर्भित मौसम केंद्र से आच्छादित नहसील / विकास खंड	7,500	बीमित राशि का 5%	15 जून, 2023
टमाटर (पर्वतीय)		7,500		
अदरक (पर्वतीय)		1,00,000		
अदरक (मैदानी)		1,00,000		
मिर्च		60,000		
फ्रेंचबीन		60,000		



(जनपदवार/फसलवार बीमित राशि एवं देय प्रीमियम पीछे पृष्ठ पर अंकित है)

बीमा कहाँ करायें/जानकारी हेतु

सम्बन्धित बैंक शाखा

जन सेवा केन्द्र (CSC)

भारत सरकार के PMFBY Portal
(www.pmfby.gov.in)

क्रियान्वयक अभिकरण के
अधिकृत बीमा मध्यस्थ/कार्यालय

(कृषकों द्वारा देय प्रीमियम राशि के अतिरिक्त अन्य कोई शुल्क बीमा के लिए देय नहीं है)

बीमा से आच्छादित जोखिम एवं क्षतिपूर्ति का आंकलन	
बीमा से आच्छादित जोखिम	फसलों की क्षति का आंकलन
<ul style="list-style-type: none"> कम वर्षा बे मौसम/अधिक वर्षा अधिक तापमान 	<ul style="list-style-type: none"> बीमित फसल की बुआई से कटाई की समयवधि (बीमा अवधि) के महत्वपूर्ण चरणों में फसल हेतु निर्धारित की गयी मौसमीय स्थितियों एवं मौसम की वास्तविक स्थिति में अन्तर के अनुरूप फसल की सम्भावित/जोखिम अवधि क्षति के दृष्टिगत फसलवार स्वीकृत टर्म-शीट में निर्धारित मापदण्डों के आधार पर क्षति का आँकलन।

कृषक बीमा सम्बन्धी अधिक जानकारी के लिए राज्य अधिसूचना, बीमा प्रपत्र, भारत सरकार के PMFBY Portal (www.pmfby.gov.in) कृषि/उद्यान विभाग, टोल फ्री नं. एवं क्रियान्वयक अभिकरण से सम्पर्क करें।
एचडीएफसी अर्गो जनरल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड

पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना मौसम – खरीफ 2023 के अन्तर्गत जनपद/फसलवार बीमित राशि एवं कृषक देय प्रीमियम राशि (₹./हे.) (खरीफ 2023 मौसम के अन्तर्गत एचडीएफसी को अधिसूचित जिलों के अधिसूचित फसलों में बीमा के लिए देय प्रीमियम दर बीमित राशि का 5%)

मौसम	जिले का नाम	फसल का नाम	बीमित राशि (रुपए/हेक्टेयर)	कृषक द्वारा देय प्रीमियम (रुपए/हेक्टेयर)	किसान खाते से प्रीमियम डेबिट के लिए अंतिम दिनांक	
खरीफ 2023	नैनीताल	आलू	75,000	3,750	15 जून, 2023	
		टमाटर	75,000	3,750	15 जून, 2023	
		अदरक	1,00,000	5,000	15 जून, 2023	
		फ्रेंच बीन्स	60,000	3,000	15 जून, 2023	
		मिर्च	60,000	3,000	15 जून, 2023	
		आलू	75,000	3,750	15 जून, 2023	
	चम्पावत	टमाटर	75,000	3,750	15 जून, 2023	
		अदरक	1,00,000	5,000	15 जून, 2023	
		फ्रेंच बीन्स	60,000	3,000	15 जून, 2023	
		मिर्च	60,000	3,000	15 जून, 2023	
		उधम सिंह नगर	अदरक	1,00,000	5,000	15 जून, 2023



टोल फ्री नं.:
18002660700

ई-मेल: amit.kanaujia@hdfcergo.com / divyesh.chandra@hdfcergo.com | वेबसाइट: https://pmfby.gov.in/farmer

एचडीएफसी अर्गो जनरल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड. आईआरडीएआई रजि. नं. 146. CIN: U66030MH2007PLC177117. पंजीकृत व कर्पोरेट कार्यालय: पहली मंजिल, एचडीएफसी हाउस, 165-166 बीकेके रेकमेन्शन, एच.टी. पारेख मार्ग, चण्डी, मुंबई-400020. जोखिम घटकों, निषेधों व शर्तों के बारे में अधिक जानकारी के लिए, कृपया चिठ्ठी के सम्पर्क से पूर्व सेल्व प्रोग्राम/प्रिंसिपल्स को पढ़ें. ऊपर द्वाबारे ट्रेड लेबो एचडीएफसी लि. और अर्गो इश्योरेंस एजी के हैं तथा कंपनी द्वारा लाइसेंस के अंतर्गत इनका इश्योरेंस किया गया है. आईआरडी: Restructured Weather Based Crop Insurance Scheme - IRDAN12SP0005V01201617.CSC-Restructured Weather Based Crop Insurance Scheme-HDE-AG-P18-26-V01-17-18. UID: 1277